न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

=====================================

निगरानी प्रकरण क्रमांक- . सन 2012.

R-2928-II/12

अजय भूषण सिंह तनय श्री हरिकेश सिंह आयु 53 वर्ष
निवासी वार्ड नं. 37, मकान नं. 18 न्यूकॉलोनी
छतरपुर, तह. व जिला- छतरपुर म०प्र० ---------- निगरानीकर्ता

बनाम

1. देवी सिंह तनय बल्दू सिंह निवासी न्यू कॉलोनी
छतरपुर म०प्र० आयु 65 वर्ष .

2. श्रीमती गोमतीदेवी राठौर (मृत)
2 अ. श्रीमती सरोज सिंह पुत्री स्व. श्री हरिकेश सिंह
निवासी चौबे कॉलोनी छतरपुर म०प्र०.
2 ब. श्रीमती सुशीला सिंह पुत्री स्व. श्री हरिकेश सिंह
निवासी न्यू कॉलोनी छतरपुर म०प्र०.
2 स. जय बहादुर सिंह तनय स्व. श्री हरिकेश सिंह
निवासी न्यू कॉलोनी छतरपुर म०प्र०.
2 द. श्रीमती विजया सिंह पुत्री स्व. श्री हरिकेश सिंह
पत्नी भूपेन्द्र सिंह निवासी हल्दुरा हाउस, शिकारपुर
बुलंद शहर, जिला-बुलंदशहर उ०प्र०.
2 य. विजय प्रताप सिंह तनय स्व. श्री हरिकेश सिंह
निवासी गुनौर, जिला-पन्ना म०प्र०.
2र. श्रीमती कृष्णा सिंह परिहार पुत्री स्व. श्री हरिकेशसिंह
पत्नी राजा सिंह परिहार, निवासी हायर सेकेण्ड्री स्कूल
प्रिन्सीपल जे.सी. नगर सागर म०प्र०.

3. अनुविभागीय अधिकारी /दण्डाधिकारी तहसील
छतरपुर म०प्र०.

4. श्रीमान तहसीलदार महोदय, छतरपुर, तहसील व जिला-
छतरपुर म०प्र०.

5. ~~[illegible]~~ ---गैर निगरानीकर्तागण.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2928–दो/12 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 6/बी–121/निग/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 23.8.2012 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.08.2012 के अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष को श्रवण किया जाकर तथाकथित प्रकरण एक लंवे समय से विचाराधीन होने से स्थगन का कियान्वयन/निरस्तीकरण का कोई औचित्य परिलक्षित न होने के परिणामस्वरूप प्रश्नधीन विवादित प्रकरण मात्र अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । साथ ही व्यथित पक्षकार के आपत्ति स्वरूप आवेदन पत्र पर भी आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2007 का निराकरण भी प्रकरण के अंतिम निराकरण के साथ ही किये जाने का आदेश पारित किया गया है । इसी आदेश से दुखित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3– अधिनस्थ न्यायालय के सम्पूर्ण अभिलेख का गंम्भीरता पूर्वक परिक्षण किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण के तर्क श्रवण किए गए, सुनवाई के पूर्व समस्त अनावेदकगण को विधिवत	

सूचना—पत्र जारी कर उन्हे आहूत किया गया । दिनांक 19.08.2016 को प्रकरण मे आवेदक के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए । अनावेदक कमांक 01 देव सिंह तनय बल्दू सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित हुए, शेष अनावेदकगण बाबजूद सूचना के अनुपस्थित पांए गए । फलस्वरूप शेष अनावेदकगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही आदेशित की गई।

4.— निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि छतरपुर स्थित विवादित मकान वार्ड नं0 37 के अन्तर्गत मकान नं0 18 न्यू कालोनी छतरपुर मे हरिसदन के नाम से स्थित है, जिसमे 24 कमरे होना एवं निगरानीकर्ता का 08 वां हिस्सा होना व्यक्त किया गया है परन्तु सम्पूर्ण मकान पर वलपूर्वक अनावेदक कमांक 01 देव सिंह एवं उनका परिवार रह रहा है । निगरानीकर्ता के अधिकार का हिस्सा नही मिला है ।

5.— इस संबंध मे निगरानीकर्ता द्वारा जिला स्तर पर कलेक्टर छतरपुर को शिकायत की गई । जांच के दौरान तहसीलदार छतरपुर ने अपने प्रकरण कमांक 27/बी—121/05—06 मे अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 18.05.2007 मे स्पष्ट किया है कि सम्पूर्ण मकान पर देव सिंह का ही कब्जा है एवं उनका परिवार 30 वर्ष से अधिक अवधि के पूर्व से निवासरत है । अन्य किसी का कब्जा होना नही पाया गया । कार्यवाही के दौरान तहसीलदार छतरपुर नें पुलिस की मदद से आवेदक/शिकायतकर्ता को अपने हिस्से मे कब्जा दिलाए जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया परन्तु तहसीलदार छतरपुर का यह प्रतिवेदन स्वयंपूर्ण नही पाया जाता है , क्यो कि अनावेदक

कमांक 01 देव सिंह सःपरिवार एक लंवे अरसे से निवासरत है । यदि आवेदक का हिस्सा था तो उनके अधिकार क्षेत्र के मकान परस्वामित्व किन परिस्थितियो मे पूर्व से निरन्तर नही रहा है, तहसीलदार छतरपुर द्वारा जांच मे ऐसे कोई तथ्य प्रकाश मे नही लाये गये है । तहसीलदार को चाहिऐ था कि उन कारणों का अपने प्रतिवेदन मे स्पष्टरूप से उल्लेख करते । इस प्रकार तथ्यो पर प्रकरण मे उपस्थित अनावेदक कमांक 01 देव सिंह तनय बल्दू सिंह की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए है। कि अनावेदक कमांक 01 देव सिंह तनय बल्दू सिंह का ही विवादित मकान पर 30 वर्षो से अधिक समय से निवास है, उनका परिवार भी निवास कर रहा है । जहां तक शिकायतकर्ता आवेदक का प्रश्नाधीन मकान पर कब्जा होने का प्रश्न है उनका कभी भी किसी प्रकार से कोई कब्जा नही रहा है । बस्तु स्थिति यह है कि विवादित मकान पूर्व से निर्मित था । निगरानीकर्ता ने श्री हरिकेश सिंह की मृत्यू पश्चात इस मकान को छोडकर अन्य भूमि प्राप्त कर उसकी विकी कर डाली है, जिससे उसका मकान पर हिस्सा का अधिकार ही समाप्त हो गया है ।

6—मेरे द्वारा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार छतरपुर के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है । कि उन्होने विवादित मकान पर स्वामित्व की कार्यवाही बिधि अनुकूल नही की है । ऐसी स्थिति मे तहसीलदार छतरपुर का जांच प्रतिवेदन भ्रामक होने से त्रुटिपूर्ण एवंम, अबैधानिक है । इस न्यायालय मे अपर कलेक्टर छतरपुर के तथाकथित आदेश दिनांक 23.08.2012 के

विरूद्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी विचाराधीन है। इस आदेश के अवलोकन से ऐसे कोई तथ्य प्रकाश मे नही आते है, जिनकारणो से निगरानीकर्ता को कार्यवाही के दौरान अधिनस्थ न्यायालय मे कोई अनियमितता बरती गई है । अधिनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23.08.2012 यथा बिधि स्थिर रखने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय के आदेश मे हस्ताक्षेप करने की कोई आवश्यकता परिलक्षित नही होती है। सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान विवादित मकान पर अनावेदक कमांक 01 श्री देव सिंह तनय बल्दू सिंह का ही सःपरिवार निवास एवं कब्जा होना पाया जाता है।

7—उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.08.2012 यथा बिधि स्थिर रखा जाता है, एवम् निगरानीकर्ता की यह निगरानी आधारहीन होने से एवं प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है । साथ ही तहसीलदार छतरपुर के राजस्व प्र.क. 27/बी—121/2005—2006 मे प्रतिवेदन दिनांक 18.5.07 एवं विवादित मकान पर आवेदक/निगरानीकर्ता के पक्ष मे कब्जा दिलाये जाने की आदेशित सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 25.11.2007 निरस्त की जाती है । अपर कलेक्टर छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अनावेदक को शीघ्रातिशीघ्र स्वामित्व के आधार पर अनावेदक कमांक 01 देव सिंह को विधिवत मकान का आधिपत्य दिलाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें । उभय पक्षकार सूचित हों, इस आदेश पत्रिका की प्रतिलिपि के साथ अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस किया जाए । तत्पश्चात् प्रकरण समाप्त होकर दा0रि0 किया जाये ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य